the Mauritian Prime Minister criticised the Indian Diplomats for absenting themselves from the multi-religious ceremony organised a week before, for the victims of the crash of an Airliner, further adding that the first consideration of India should have been the Sovereignty of Mauritius; and

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) At a dinner in honour of the diplomatic corps on December 28, 1987 the Mauritian Prime Minister expressed regret that a few envoys did not attend the ecumenical ceremony in memory of 160 persons (of whom 55 were South Africans) who lost their lives in the South African Boeing 747 air crash on November 28, 1987 off the Maruritian Coast. His remarks did not specifically refer to Indian diplomats.

In consonance with our policy of boycotting South Africa's racist regime our High Commissioner (and a few other envoys) did not attend the ceremony at which South Africa's Foreign Minister and Transport Minister were the chief guests. Our High Commissioner, however, sent a wreath before the ceremony began.

राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन

357. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह पता लगाने के लिये कभी कोई प्रयास किया गवा है कि राजभाषा अधिनियम के उपबधों और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन अभी तक क्यों नहीं किया गया;

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा हिन्दी अनुभाग की फाइलों को छोड़कर ऐसी फाइलों की संख्या कितनी है जिनमें राजभाषा में, अर्थात् हिन्दी में काम किया जा रहा है ;

(ग) मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम काम कर रहे हैं और प्रत्येक उपक्रम में राजभाषा से संबंधित कार्य के बारे में क्या स्थिति है ; और

(ध) मंत्रालय में हिन्दी, अंग्रेजी और द्विभाषी कम्प्यूटरों, टेलेक्सों, टेलीप्रिंटरों आदि की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) प्रधान मत्री कार्यालय द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । यह पता लगाने के लिये कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है कि राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये वार्षिक कार्यक्रम का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ है ।

(ख) इस कार्यालय की फाइलों में कागज पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में मिले जुले होते हैं । हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है ।

(ग) प्रधान मंत्री कार्यालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम नहीं है ।

(घ) इस कार्यालय में 22 पर्सनल कम्प्यूटर हैं जिनमें द्विभाषी सुविधा है और एक मेन सिस्टम है जो अंग्रेजी में है । अंग्रेजी का एक पी.टी.आई. टेलीप्रिंटर तथा पांच न्यूज स्केनर्स हैं । इस कार्यालय में कोई टेलेक्स यूनिट नहीं है ।